क्रम संख्या–37 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 मई, 2020 ई0

बैशाख 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 144 / XXXVI(3) / 2020 / 13(1) / 2020

देहरादून, 06 मई, 2020

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020'** पर दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 15 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड राज्य में साक्षियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

भाग–I
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020" है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) **"सक्षम प्राधिकारी"** से जिला जज की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिले के प्रभारी अभियोजन अधिकारी (संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी) इसके सदस्य होगें।

समिति के सदस्य के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा।

(ख) **"संहिता"** से दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 अभिप्रेत है;

(ग) **"परिवार के सदस्य"** से साक्षी के दादा–दादी, माता–पिता/संरक्षक, भाई–बहन, पति/पत्नी, बच्चे एवं साक्षी के पोते/पोती अभिप्रेत है;

(घ) **"प्रारूप"** से इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(ड़) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"बन्द कक्ष में सुनवाई की कार्यवाही"(In Camera Proceeding)** से ऐसी कार्यवाही अभिप्रेत है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय साक्षी संरक्षण प्रार्थना पत्र की सुनवाई और निस्तारण करते समय अथवा न्यायालय में विचारण के समय केवल ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह आवश्यक समझे, उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है;

(छ) **"लाइव लिंक"** से लाइव टेलीविजन लिंक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया हुआ कोई ऐसा अन्य प्रबन्ध अभिप्रेत है जिसमें न्यायालय कक्ष से अनुपस्थित रहते हुए भी साक्षी द्वारा प्रश्नगत वाद में साक्ष्य दिया जा सके;

(ज) **"अपराध"** से वे अपराध, जो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध तथा जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ तथा 509 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(झ) **"संरक्षण उपाय"** से सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा किए गये ऐसे उपाय अभिप्रेत है, जिसमें साक्षी स्वयं के अथवा उसके पारिवारिक सदस्यों के जीवन अथवा ख्याति के भय के बिना वाद में साक्ष्य दे सके ;

(ञ) **"राज्य साक्षी संरक्षण निधि"** से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी संरक्षण के सम्बन्ध में पारित आदेश के क्रियान्वयन में किये गये व्यय के वहन हेतु धारा 3 के अन्तर्गत सृजित निधि अभिप्रेत है;

(ट) **"धमकी विश्लेषण रिपोर्ट"** से साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों को दी गयी धमकी की गम्भीरता और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में अन्वेषण कर रहे उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी एवं मण्डलाधिकारी/विशेष शाखा द्वारा तैयार की गयी विस्तृत रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें साक्षी अथवा उसके परिवार को कारित भय, मृत्यु अथवा उसकी सम्पत्ति या संसाधनों को नष्ट किये जाने के खतरे के सम्बन्ध में विशेष विवरण हो। इसमें धमकी की प्रकृति के अलावा उससे निपटने के लिए क्या कार्यवाही वांछित है, का विवरण भी सम्मिलित किया जायेगा;

(ठ) **"साक्षी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी अपराध के सम्बन्ध में जैसा कि विहित किया जाय, बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है अथवा जिसके पास किसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या अभिलेख है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपराधिक कार्यवाही हेतु महत्वपूर्ण सूचना माना गया हो, या किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करे;

(ड) **"साक्षी संरक्षण प्रार्थना पत्र"** से साक्षी द्वारा विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्षी संरक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अभिप्रेत है। यह साक्षी, उसके परिवार के सदस्यों अथवा उसके

द्वारा सम्यक्रूपेण नियोजित अधिवक्ता, थाना प्रभारी निरीक्षक अथवा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, कारागार के माध्यम से किया जा सकता है और उसे प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जायेगा;

(ढ़) **"साक्षी संरक्षण आदेश"** से सक्षम प्राधिकारी के स्तर से साक्षी की अथवा उसके परिवार के सदस्यों की धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर निर्गत आदेश अभिप्रेत है;

(ण) **"साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ"** से साक्षी के संरक्षण के सम्बन्ध में जिला स्तर पर गठित ऐसा प्रकोष्ठ अभिप्रेत है जिसका कर्तव्य साक्षी संरक्षण आदेश का पूर्णतया अनुपालन कराया जाना है। जिला स्तर पर इस प्रकोष्ठ के प्रमुख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक होंगे।

भाग–II
साक्षी संरक्षण के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

राज्य साक्षी संरक्षण निधि

3. (क) राज्य स्तर पर साक्षी के सरंक्षण के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन अथवा साक्षी के संरक्षण के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु यह निधि होगी।

(ख) राज्य साक्षी संरक्षण निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(i)राज्य सरकार के वार्षिक बजट में बजटीय आवंटन;

(ii)दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 357 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि की प्राप्ति जिसे साक्षी संरक्षण निधि में जमा कराने का आदेश न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया हो;

(iii)अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी संस्थाओं/ संगठनों एवं व्यक्ति विशेष, जो राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्त हों, के द्वारा दिया गया दान/योगदान;

(iv)निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत अभिदत्त निधि;

(ग) उक्त निधि का संचालन राज्य सरकार के अधीन गृह विभाग द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तर पर जनपदों को वितरित की गयी धनराशि के आहरण वितरण का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित अधिकारी को होगा।

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना

4. साक्षी की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिया गया आवेदन दो प्रतियों में वांछित अभिलेखों सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सीधे अथवा विचारण न्यायालय अथवा कारागार अधीक्षक के माध्यम से दिया जायेगा।

साक्षी को संरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की प्रक्रिया

5. (1) जब और जैसे ही सक्षम प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा, वह तुरन्त सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक, जो मामले की जांच कर रहे हैं, को धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेश करेगा।

(2) आवेदन पत्र के विचाराधीन होने की स्थिति एवं साक्षी को मिली धमकी अथवा तात्कालिकता के दृष्टिगत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ही साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु अन्तरिम आदेश पारित कर सकते हैं, किन्तु अन्तिम आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही पारित किया जायेगा।

(3) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक जो कि मामले की जांच कर रहा है, के द्वारा तैयार की जायेगी तथा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश की प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरी गोपनीयता बरतते हुए धमकी विश्लेषण रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

(4) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी साक्षी की श्रेणी निर्धारित करते हुए, साक्षी संरक्षण आदेश जारी कर सकेगा।

(5) साक्षी संरक्षण के प्रार्थना पत्र की समस्त सुनवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए बन्द कमरे में की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक साक्षी के जीवन–भय का स्वमूल्यांकन कर बिना आवेदन के भी साक्षी को संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साक्षी संरक्षण सम्बन्धी ऐसे आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य ही प्राप्त की जायेगी।

(7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश को जिले के साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। साक्षी संरक्षण आदेशों के कियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा।

परन्तु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी के स्तर से साक्षी संरक्षण आदेश में किसी साक्षी की पहचान अथवा किसी अन्य स्थान में पुर्नस्थापन के आदेश पारित किये जाते हैं तो इसके लागू करने के सम्बन्ध में अपेक्षित उपाय सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जायेंगे;

(8) साक्षी संरक्षण आदेश पारित होने के पश्चात्, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगें;

(9) सक्षम प्राधिकारी साक्षी संरक्षण आदेश की त्रैमासिक समीक्षा करेगा। इस सम्बन्ध में साक्षी अथवा पुलिस के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से नयी धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मांगी जा सकेगी। तत्पश्चात् धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अग्रिम आदेश पारित किया जाएगा।

संरक्षण उपायों के प्रकार

6. साक्षी संरक्षण उपाय धमकी के सापेक्ष एवं विशिष्ट अवधि, जो एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगी, किये जायेंगे। इसमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं–

(क) यह सुनिश्चित करना कि साक्षी और आरोपी का जांच या परीक्षण के दौरान आमना–सामना न हो;

(ख) मेल और टेलीफोन कॉल की निगरानी करना;

(ग) साक्षी के फोन नम्बर को बदलने के लिये टेलीफोन कम्पनी के साथ व्यवस्था करना अथवा उसे एक असूचीबद्ध फोन नम्बर उपलब्ध कराना;

(घ) साक्षी के घर पर सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को स्थापित करना, जैसे– सुरक्षा दरवाजे, सी0सी0टी0वी0, अलार्म्स, फैन्सिंग आदि;

(च) साक्षी का नाम अथवा नाम के अक्षर परिवर्तित कर उसकी पहचान छिपाना;

(छ) साक्षी के लिये आपातकालीन सम्पर्क व्यक्ति;

(ज) साक्षी के घर के आस–पास नियमित गश्त एवं गहन सुरक्षा;

(झ) रिश्तेदार के घर अथवा पास के शहर में निवास का अस्थायी परिवर्तन;

(ञ) सुनवाई की तारीख के लिए न्यायालय से लाने ले जाने हेतु अनुरक्षण और सरकारी वाहन अथवा राज्य वित्त पोषित वाहन का उपबन्ध किया जाना;

(ट) ''इन–कैमरा'' अर्थात् बन्द कमरे में विचारण किया जाना;

(ठ) साक्षी के बयान के दौरान एक सहायक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति देना;

(ड) विशेष रूप से तैयार किये गये संवेदनशील साक्षी न्यायालय कक्ष का उपयोग, जिसमें साक्षी के लिये लाइव वीडियो लिंक, वन–वे मिरर और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्थायें हों और अभियुक्त एवं साक्षी के चेहरे एवं आवाज को परिवर्तित करने के विकल्प के साथ पृथक रास्ता हो, ताकि वह पहचान न सकें;

(ढ़) विचारण के दौरान साक्षी के बयान को दिन– प्रतिदिन के आधार पर बिना स्थगन के शीघ्रता से अभिलेखबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना;

(ण) साक्षी को पुनर्वास, जीविकोपार्जन या नया व्यवसाय /पेशा शुरू करने के उददेश्य से, यदि आवश्यक हो, राज्य साक्षी संरक्षण निधि से समय–समय पर वित्तीय सहायता/अनुदान आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना;

(त) संरक्षण के अन्य उपाय, जो आवश्यक समझे जाय;

अनुश्रवण एवं समीक्षा

7. सुरक्षा आदेश पारित होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और इस मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर इसकी समीक्षा करेगा। यद्यपि, सक्षम प्राधिकारी साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्येक तीन माह में साक्षी संरक्षण आदेश की समीक्षा करेगा।

भाग–III
साक्षी की पहचान की संरक्षा

पहचान की संरक्षा

8. (1) किसी गम्भीर अपराध के अन्वेषण या विचारण के दौरान सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहचान की संरक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का परीक्षण कर तथा साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे वह उपयुक्त समझे, की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि 'पहचान संरक्षा आदेश' पारित करने की आवश्यकता है या नहीं।

(2) आवेदन की सुनवाई के दौरान, साक्षी की पहचान किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जायेगी। मीडिया को भी इसके प्रकाशन का अधिकार नहीं होगा। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निस्तारण कर सकता है।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी की पहचान छुपाने का आदेश पारित किये जाने पर साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा सभी सम्बन्धित ऐजेन्सियों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया जायेगा।

भाग–IV
प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में साक्षी को अवगत कराया जाना

9. विवेचना अधिकारी/न्यायालय के लिये प्रत्येक साक्षी को इस अधिनियम के अस्तित्व में होने एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा।

गोपनीयता और रिकार्ड की सुरक्षा

10. (1) सक्षम प्राधिकारी/विभाग/साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारी /एस0एस0पी0/एस0एच0ओ0/दोनो पक्षों के अधिवक्ता एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारी इस सम्बन्ध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगें और यह सुनिश्चित करेंगें कि इस योजना के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई भी सूचना, अभिलेख किसी भी स्थिति में विचारण न्यायालय/अपील न्यायालय के लिखित आदेश के बिना साझा न किये जायें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही से सम्बन्धित सभी रिकार्ड तब तक संरक्षित किये जायेंगे जब तक सम्बन्धित मुकदमा या अपील न्यायालय के समक्ष लम्बित है। न्यायालय की अन्तिम कार्यवाही के तीन वर्ष के समापन के पश्चात् रिकार्ड की हार्ड कॉपी, साफ्ट कॉपी के रूप में स्कैन कर सुरक्षित रखते हुए, रिकार्ड की हार्ड कापी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नष्ट करायी जा सकेगी।

खर्चो की वसूली

11. यदि साक्षी के द्वारा कोई झूठी शिकायत दर्ज कराई जाती है तब "सक्षम प्राधिकारी" राज्य साक्षी संरक्षण निधि से किये गये व्यय की वसूली एवं अन्य विधिक कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत कर सकेगा।

पुनर्विलोकन

12. साक्षी अथवा पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पारित करने के 15 दिनों के भीतर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन कर सकेगा।

निर्णय का न्यायालय में वाद योग्य न होना

13. सक्षम प्राधिकारी का निर्णय सिविल न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के कतिपय प्रावधान का लागू होना

14. साक्षी की पहचान, साक्षी संरक्षण आदेश एवं पुनर्विलोकन/समीक्षा आदेश से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) तथा खण्ड (ज) के उपबन्ध लागू होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाइयों के निवारण की शक्ति

16. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश से ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–156/2016 महेन्द्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 05.12.2018 को निर्णय पारित करते हुए "साक्षी संरक्षण योजना, 2018" अनुमोदित की गयी है। मा0 न्यायालय ने उक्त योजना को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 141/142 के अन्तर्गत विधि घोषित किया है, जब तक कि संसद या राज्य विधायिका के द्वारा यथोचित विधान इस संदर्भ में नहीं बना दिया जाता। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में साक्षियों को संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधि बनायी जानी अपरिहार्य है।

अतः तद्नुसार "उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020" पुरःस्थापित किया जा रहा है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधायी/128–2020–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।